(2013) 9 S.C.R. 1103

जनहित याचिका केन्द्र

बनाम

भारत संघ और अन्य

(रिट याचिका (सिविल) सं. 681/2004)

अक्टूबर 22, 2013

(के.एस. राधाकृष्णन और दीपक मिश्रा, जे.जे.)

जन स्वास्थ्य:

जन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक खाद्य पदार्थ- अभिनिर्धारित: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीने के अधिकार की गारन्टी देता है - कोई भी खाद्य पदार्थ जो जन स्वास्थ्य के लिये खतरनाक या हानिकारक है, अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के मौलिक अधिकार के लिये एक संभावित खतरा है। बच्चे और शिशु अपनी शारीरिक अपरिपक्वता और शीतल पेय, फल आधारित या अन्य के अधिक संपर्क के कारण कीटनाशकों के प्रभाव के प्रति विशिष्ट रूप से संवेदनशील होते हैं- मानव जीवन और स्वास्थ्य के लिये उचित स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने के लिये राज्य और उसके अधिकारियों पर एक सर्वोपरि कर्तव्य लगाया जाता है। जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 सपठित अनुच्छेद 39 (ई)

और (एफ) व अनुच्छेद 47 के तहत नागरिकों को दिया गया एक मौलिक अधिकार है। इसलिए, एफएसएस अधिनियम और पीएफए अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गये नियमों और विनियमों की व्याख्या और कार्यान्वयन संवैधानिक सिद्धांतों के आलोक में किया जाना चाहिए, और मानव सुरक्षा के उचित स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जीवन और स्वास्थ्य- वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिये अधिकारियों के साथ-साथ अधिनियमों के तहत कार्य करने वाले अन्य अधिकारियों पर भी काफी जिम्मेदारी डाली गई है- भारत का संविधान, 1950 अनुच्छेद 21, 39 (ई) (एफ) और 47- खाद्य आपूर्ति और मानक अधिनियम- 2006 खाद्य अपमिश्रण निवारण, अधिनियम 1954.

जनहित याचिका:

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका- शीतल पेय के हानिकारक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने के लिये मानव स्वास्थ्य पर विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर, और विनियामक उपाय करने के लिये अभिनिर्धारित : विभिन्न अधिनियमों, नियमों और विनियमों में पहले से ही पर्याप्त प्रावधान किये गये हैं, -- कुल मिलाकर, याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विभिन्न शिकायतों को संबंधित विधानों में आते हैं - उनका प्रवर्तन संबंधित अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है एफएसएस अधिनियम भोजन से संबंधित कानूनों

को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिये विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने के लिये भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना के लिये अधिनियमित किया गया है - यह शिकायतों की जांच करने के लिये मशीनरी प्रदान करता है और यदि किसी नागरिक को किसी सामग्री के संबंध में कोई शिकायत मिली शीतल पेय, वह मशीनरी से संपर्क कर सकता है- न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आधार पर और एफएसएस अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य प्राधिकरण ने लेबलिंग और डी पर एक विशेषज्ञ वैज्ञानिक पैनल का गठन किया। दावे/ विज्ञापन और उस पैनल ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विभिन्न शिकायतों की जांच करने और सुनवाई का अवसर देने के बाद, 12-9-2012 को एक आदेश पारित किया- भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण को अपने संसाधनों को बढाने के लिये निर्देशित किया गया है सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में समकक्ष और प्रमुख फल और सब्जी बाजारों को समय-समय पर निरीक्षण और निगरानी करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वे अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप है- उत्तरदाताओं को एफएसएस अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करना होगा। साथ ही उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम- भारत का संविधान 1950 अनुच्छेद 21, 39 (ई), (एफ) और 47- खाद्य आपूर्ति और मानक अधिनियम, 2006 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य

उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011- खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011- जी फल उत्पाद आदेश, 1955

जनहित में दायर त्वरित रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने मानव स्वास्थ्य, विशेषकर स्वास्थ्य पर बच्चों और इस संबंध में नियामक उपाय करने के लिये भारत संघ को निर्देश देने के लिये शीतल पेय के हानिकारक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिये एक स्वतंत्र विशेषज्ञ/ तकनीकी समिति गठित करने की मांग की। यह मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया था कि मानव स्वास्थ्य, विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर शीतल पेय के हानिकारक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिये कोई उचित नियामक व्यवस्था नहीं थी और विशेष रूप से रासायनिक योजकों में बी सामग्री को नियंत्रित करने और जांच करने के लिये कोई तंत्र नहीं था। भोजन, जिसमें शीतल पेय भी शामिल है।

कोर्ट ने याचिका का निस्तारण करते हुए

अभिनिर्धारित: 1.1 कार्बोनेटेड शीतल पेय का निर्माण और बिक्री खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (पीएफए अधिनियम), पीएफए नियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी फल उत्पाद आदेश, 1955 द्वारा विनियमित है। पीएफए नियम, 1955 के नियम 32 से नियम 44 के अनुसार लेबलिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिये नियम और विनियम के लिये पर्याप्त प्रावधान पहले ही बनाए जा चुके

हैं और नियम और विनियम लागू है। अधिसूचनाएं जीएसआर (ई) दिनांक 19-09-2008 द्वारा संशोधित पीएफए नियमों के नियम 32 के अनुसार, घोषणा खाद्य उत्पादों और विशेष रूप से शीतल पेय के सभी अवयवों को अवरोही क्रम में बनाना आवश्यक है और पोषण संबंधी जानकारी भी घोषित की जानी आवश्यक है। भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिये पीएफए के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ-साथ पर्याप्त प्रावधान भी मौजूद है। पीएफए नियम, 1955 के नियम 43 एएफ का भी संदर्भ लिया जा सकता है। (पैरा 16 और 18) (1121- जी: 1122-एफ- एच: 1123-ए)

1.3 कुल मिलाकर याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई विभिन्न शिकायतें कानूनों, अर्थात् खाद्य आपूर्ति और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएस अधिनियम), खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम, आदि के अंतर्गत आती है। अधिकांश परिस्थितियों को पहले ही एफएसएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ विनियमों में भी ध्यान रखा जाता है, ताकि मानव जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा का उचित स्तर प्राप्त किया जा सके, जिसमें खाद्य सुरक्षा मानक और प्रथाएं खाद्य व्यापार के सभी मामलों में उचित व्यवहार शामिल हैं। उनका प्रवर्तन उक्त विधानों के तहत कार्य करने

वाले प्राधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। (पैरा 3 और 15) (1110-डी-ई: 1121- ई-एफ)

1.4 एफएसएस अधिनियम भोजन से संबंधित कानूनों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिये विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने के लिये भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना के लिये अधिनियमित किया गया है। यह शिकायतों की जांच के लिये मशीनरी प्रदान करता है और यदि किसी नागरिक को किसी शीतल पेय की सामग्री के संबंध में कोई शिकायत है, तो वह मशीनरी से संपर्क कर सकता है। एफएसएस अधिनियम की धारा 40 किसी भी खाद्य पदार्थ के खरीददार को खाद्य विश्लेषक से ऐसे भोजन का विश्लेषण कराने में सक्षम बनाती है। इस अधिनियम का उद्देश्य मानव उपभोग के लिये सुरक्षित और पौष्टिक भाेजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करना भी है। यह अधिनियम अंतर्राष्ट्रीय विधानों, उपकरणों और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (सीएसी) पर आधारित है। "कोडेक्स इंडिया" भारत के लिये राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिन्दु (एनसीसीपी), एफ नेशनल कोडेक्स समिति के सहयोग से भारत में कोडेक्स गतिविधियों का समन्वय और प्रचार करता है और एक स्थापित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से कोडेक्स के काम में भारत के इनपुट की सुविधा प्रदान करता है। अधिनियम ने केन्द्र सरकार को एफएसएस अधिनियम की धारा 4 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का गठन

करने का अधिकार दिया। खाद्य प्राधिकरण एक केन्द्रीय सलाहकार समिति और वैज्ञानिक पैनल गठित करने के लिये भी अधिकृत है। (पैरा 7-9) (1112-एच: 113-ए-बी, सी- डी, एफ-एच)

1.5 इस न्यायालय द्वारा 8-2-2011 और 15-4-2011 को पारित आदेशों के आधार पर और एफएसएस अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य प्राधिकरण ने, लेबलिंग और दावे/ विज्ञापन पर एक विशेषज्ञ वैज्ञानिक पैनल का गठन किया और उस पैनल ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई विभिन्न शिकायतों की जांच करने और सुनवाई का अवसर देने के बाद 12-9-2012 को एक आदेश पारित किया। (पैरा 6) (111-एफ-जी)

1.6 अधिनियम के अध्याय III में खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धांतों का अधिनियम के प्रशासन में, केन्द्र सरकारें, खाद्य प्राधिकरण, राज्य सरकारों और अन्य एजेन्सियों द्वारा नियमों को लागू करते समय और खाद्य सुरक्षा मानकों को निर्दिष्ट करते समय एफएसएस अधिनियम के प्रावधानों को लागू या कार्यान्वित करते समय पालन किया जाना है या खाद्य प्राधिकरण अपने कार्यों का निर्वहन करते समय देश में प्रचलित प्रथाओं और स्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रथाओं सहित कृषि पद्धतियां और रख-रखाव, भंडारण और परिवहन की स्थितियां शामिल हैं। खाद्य प्राधिकरण को खाद्य सुरक्षा के सामान्य

सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जैसे जोखिम विश्लेषण, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम प्रबन्धन, जोखिम संचार, पारदर्शी सार्वजनिक परामर्श, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा, आदि। (पैरा 11) (118-बी-ई)

1.7 भारत का संविधान अनुच्छेद 21 सम्मान के साथ जीने के अधिकार की गारन्टी देता है। कोई भी खाद्य पदार्थ जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये खतरनाक या हानिकारक है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के मौलिक अधिकार के लिये एक संभावित खतरा है। बच्चे और शिशु अपनी शारीरिक अपरिपक्वता और शीतल पेय, फल आधारित या किसी अन्य पेय के अधिक संपर्क के कारण कीटनाशकों के प्रभाव के प्रति विशिष्ट रूप से संवेदनशील होते हैं। मानव जीवन और स्वास्थ्य के लिये उचित स्तर की सुरक्षा प्राप्त करना राज्यों और उसके प्राधिकारियों पर सर्वोपरि कर्तव्य है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 सपठित अनुच्छेद 39 (ई) और (एफ) व अनुच्छेद 47 के तहत नागरिकों को दिया गया एक मौलिक अधिकार है। (पैरा 21 और 23) (1124-बी-ड: 1125-ए-बी)

1.8 इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि एफएसएस अधिनियम और पीएफए अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों की व्याख्या और कार्यान्वयन संवैधानिक सिद्धांतों के आलोक में किया जाना चाहिए, और एक लक्ष्य मानव जीवन

और स्वास्थ्य की सुरक्षा का उचित स्तर का हासिल करने का प्रयास किया जाना चाहिए। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिये प्राधिकरणों के साथ-साथ अधिनियमों के तहत कार्य करने वाले अन्य अधिकारियों पर भी काफी जिम्मेदारी डाली गई है। अधिकारियों को परिस्थितियों के अनुरूप नियंत्रण और अन्य गतिविधियों की एक प्रणाली बनाए रखने के लिए भी बाध्य किया जाता है, जिसमें खाद्य सुरक्षा और जोखिम पर सार्वजनिक संचार, खाद्य सुरक्षा निगरानी और अन्य खाद्य व्यवसाय के सभी चरणों को कवर करने वाली गतिविधियों की निगरानी करना शामिल हैं। (पैराग्राफ 22) (1124- डी-एफ)

1.9 इसलिये भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण डी को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अपने समकक्षों के साथ अपने संसाधनों को बढाने और प्रमुख फल और सब्जी बाजारों का समय-समय पर निरीक्षण और निगरानी करने का निर्देश दिया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित ऐसे मानकों के अनुरूप हैं या नहीं। (पैरा 24) (1125- बी-सी)

1.10 अधिनियम में दंडात्मक प्रावधान भी किये गये हैं। यह इसलिये, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि प्रावधान अधिनियमों को ठीक से और प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है ताकि राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार की रक्षा करते हुए

मानव जीवन और स्वास्थ्य का उचित स्तर प्राप्त कर सके। उत्तरदाताओं को एफसएसएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करना होगा। (पैरा जी 25-26) (1125- डी-ई)

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) संख्या 681/ 2004

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

जनहित याचिका केन्द्र बनाम

भारत संघ

प्रशान्त भुषण, रोहित कुमार, सुमित शर्मा- अपीलांट

मुकुल रोहतगी, अमित सिब्बल, आर.एन. करंजावाला, रूबीसिंह आहूजा, दीप्ति सरीन, उदीत मेंदीरत्ता, इशान गौड (मणिक करंजावाला, बीनू टम्टा, ए.देब कुमार डी.एस. महरा, सुषमा सूरी, रविन्द्र नारायण, कनिका गोम्बर, नमित कौल, अमृता चटर्जी, राजन नारायण, अंकुर तलवार, एस. हरिहरन, राजेश्वरी एच, कुणाल चन्द्र अग्रवाल- रेस्पोडेन्टस।

न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया।

केएस राधाकृष्णन, जे. 1. रिट याचिका में मानव स्वास्थ्य, विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य पर शीतल पेय के हानिकारक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ/तकनीकी समिति का गठन

करने और प्रतिवादी नंबर 1 - भारत संघ - को निर्देश देने की मांग की गई थी। एक नियामक व्यवस्था स्थापित करना जो शीतल पेय सहित खाद्य पदार्थों में किसी विशेष रासायनिक योज्य की सामग्री को नियंत्रित और जांच कर सके। इसके अलावा, प्रतिवादी संख्या के खिलाफ भी निर्देश मांगा गया था कि शीतल पेय निर्माताओं के लिए शीतल पेय के लेबल पर सामग्री और उनकी विशिष्ट मात्रा का खुलासा करना अनिवार्य बनाना, जिसमें किसी विशेष घटक के बारे में उचित चेतावनियां और लोगों पर इसके हानिकारक प्रभाव शामिल हों। याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या को निर्देश देने की भी मांग की है कि शीतल पेय के भ्रामक विज्ञापनों की जाँच और नियंत्रण करना, विशेष रूप से बच्चों, असावधान अशिक्षित और अशिक्षित लोगों पर लक्षित विज्ञापन।

2. भारत संघ और अन्य उत्तरदाताओं ने यह रुख बनाए रखा है कि खाद्य आपूर्ति और मानक अधिनियम , 2006 (एफएसएस अधिनियम), इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ, एक सशक्त नियामक व्यवस्था का गठन करता है, जो उपरोक्त सभी का ख्याल रखता है कि उल्लिखित स्थितियों और एफएसएस अधिनियम और नियमों और विनियमों के प्रावधानों को ईमानदारी और सावधानी से लागू किया जा रहा है। इसके अलावा, यह बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा 8.2.2011 और 15.4.2011 को पारित आदेशों के अनुसरण में, भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण (संक्षेप में "खाद्य प्राधिकरण") ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाए

गए विभिन्न शिकायतों की जांच की और 12.9.2012 को आदेश पारित किया। खाद्य प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 12.9.2012 के आदेश में दर्ज निष्कर्ष रिट याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए सभी भय और आशंकाओं को दूर करेंगे और किसी भी दृष्टि से एफएसएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ ही उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम के तहत कार्य करने वाले अधिकारियों द्वारा इसका ध्यान रखा जा सकता है। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि यदि याचिकाकर्ता या किसी अन्य नागरिक को कोई शिकायत है, तो वह हमेशा एफएसएस अधिनियम के तहत काम करने वाले वैधानिक अधिकारियों से संपर्क कर सकता है और इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय से आगे कोई निर्देश नहीं मांगा जाता है।

3. हमने एफएसएस अधिनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011, खाद्य अपमिश्रण की रोकथाम अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम, आदि विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया है । हमारे विचार में, याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई विभिन्न शिकायतें उपरोक्त उल्लिखित कानूनों के अंतर्गत आती हैं, लेकिन सवाल केवल इन कानूनों के तहत काम करने वाले अधिकारियों द्वारा उनके प्रवर्तन के संबंध में है।

4. हमने पहले ही संकेत दिया है कि याचिकाकर्ता की मुख्य आशंका यह है कि मानव स्वास्थ्य, विशेषकर बच्चों के स्वास्थ्य पर शीतल पेय के हानिकारक प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए कोई उचित नियामक व्यवस्था नहीं है और शीतल पेय सहित भोजन में विशेष रासायनिक योजकों की सामग्री की जाँच व इसे नियंत्रित करने के लिए कोई तंत्र भी नहीं है। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि, हालांकि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर एडिटिव्स, लेबलिंग और विज्ञापन के लिए दो अलग-अलग वैज्ञानिक पैनल गठित किए गए थे, शीतल पेय के अवयवों के बारे में याचिकाकर्ता की शिकायतों पर लेबलिंग और विज्ञापन पर खाद्य योजकों पर वैज्ञानिक पैनल द्वारा विचार किया गया था, न कि खाद्य योजकों के वैज्ञानिक पैनल द्वारा।

याचिकाकर्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर केवल खाद्य योजकों के लिए वैज्ञानिक पैनल द्वारा विचार किया जा सकता था, न कि लेबलिंग और विज्ञापन के मुद्दों पर विचार करने के लिए गठित पैनल द्वारा। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि गांगुली समिति द्वारा की गई सिफारिशों का भी उपरोक्त समितियों द्वारा पालन नहीं किया गया। गांगुली समिति ने "स्वास्थ्य पर कार्बोनेटेड पानी की खपत के प्रभावों का आकलन करने के लिए अच्छी तरह से नियंत्रित अध्ययन" और "जोखिम विश्लेषण" के लिए एक स्वतंत्र सेल की सिफारिश की है। याचिकाकर्ता ने बताया है कि बड़ी मात्रा में कैफीन (मिथाइलेटेड ज़ैंथिन) के सेवन से अनिद्रा, घबराहट, चिंता आदि

जैसी बीमारियाँ और विकार हो सकते हैं, जिसका उपयोग शीतल पेय में एक योज्य के रूप में किया गया है और यह मानव जीवन के लिए हानिकारक है। इस तर्क के समर्थन में, विभिन्न शोध पत्रों का संदर्भ दिया गया है जिनमें कैफीन के सेवन के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।

5. याचिकाकर्ता ने भ्रामक विज्ञापन के माध्यम से बच्चों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों पर भी प्रकाश डाला है, जिसके लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) द्वारा किए गए अध्ययन और कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित विभिन्न अध्ययन पत्रों का भी संदर्भ दिया गया है, जिसमें बच्चों पर विज्ञापन और उसके हानिकारक प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है।

6. हमने पहले ही संकेत दिया है कि इस न्यायालय द्वारा 8.2.2011 और 15.4.2011 को पारित आदेशों के आधार पर और एफएसएस अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य प्राधिकरण ने एक विशेषज्ञ वैज्ञानिक लेबलिंग और दावे/विज्ञापन पर पैनल का गठन किया। और उस पैनल ने याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई विभिन्न शिकायतों की जांच करने और सुनवाई का अवसर देने के बाद, 12.9.2012 को एक आदेश पारित किया, उसी का प्रवर्तनीय भाग इस प्रकार है:

"ए) जैसा कि अभ्यावेदन (याचिकाकर्ता का अभ्यावेदन दिनांक 18.03.2011) में बताया गया है, शीतल पेय को खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमन, 2011 के तहत मानकों के अनुसार कार्बोनेटेड पानी के रूप में विनियमित किया जाता है।" "जैसा कि ऊपर उल्लिखित आंकड़ों में बताया गया है,देश में प्रचलित मौजूदा खपत पैटर्न के अनुसार, पेय में मौजूद तत्व किसी भी स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा नहीं करते हैं।"

बी) शीतल पेय की लेबलिंग खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 द्वारा नियंत्रित होती है। 2011।" कार्बोनेटेड पेय के लेबलिंग प्रावधान खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग नियम, 2011 की पालना में है।

ग) कार्बोनेटेड पेय पदार्थों का विज्ञापन अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954, खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन पर प्रतिबंध) और विनियमन, 2011 और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) कोड द्वारा शासित होता है। कार्बोनेटेड पेय पदार्थों का विज्ञापन खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954, खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन पर प्रतिबंध) विनियमन 2011 और एएससीआई कोड के प्रावधानों का अनुपालन करता है।

7. हमने पाया कि वैज्ञानिक पैनल में प्रख्यात खाद्य वैज्ञानिक, रासायनिक इंजीनियर, पोषण विशेषज्ञ, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ,

विषविज्ञानी आदि शामिल हैं। याचिकाकर्ता ने यह तर्क उठाया कि उसके द्वारा उठाई गई आपत्ति पर समिति द्वारा विचार किया गया था जिसका शीर्षक लेबलिंग पर वैज्ञानिक पैनल है और दावे/विज्ञापन, भले ही खाद्य प्राधिकरण के शीर्षक में "खाद्य योज्य" शब्दों वाला एक पैनल है। जब हम लेबलिंग/विज्ञापन पर वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों की साख की जांच करते हैं, तो हमें इस विवाद में अधिक बल नहीं मिलता है। इसके अलावा, हमने देखा है कि शिकायतों की जांच उन विशेषज्ञों द्वारा की गई थी जो वैज्ञानिक विशेषज्ञ हैं, न कि चुने गए पैनल के सदस्यों द्वारा, जो केवल लेबलिंग/विज्ञापन आदि से परिचित हैं। किसी भी दृष्टिकोण से, हम देखते हैं कि अधिनियम एक शिकायतों की जांच करने के लिये मशीनरी प्रदान करता है और यदि किसी नागरिक को किसी शीतल पेय की सामग्री के संबंध में कोई शिकायत है, तो वह मशीनरी से संपर्क कर सकता है। एफएसएस अधिनियम की धारा 40 किसी भी खाद्य वस्तु के खरीदार को खरीद के समय खाद्य व्यवसाय संचालक को सूचित करने के बाद खाद्य विश्लेषक से ऐसे खाद्य पदार्थ का विश्लेषण कराने में सक्षम बनाती है। बनाए गए नियमों का उल्लंघन या गैर-अनुपालन होने की स्थिति में क़ानून दंडात्मक प्रावधान भी प्रदान करता है।

8. एफएसएस अधिनियम भोजन से संबंधित कानूनों को समेकित करने और खाद्य पदार्थों के लिए विज्ञान आधारित मानकों को निर्धारित करने के लिए भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना के

लिए अधिनियमित किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करना भी है। यह अधिनियम अंतरराष्ट्रीय विधानों, उपकरणों और कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (सीएसी) पर आधारित है। सीएसी की स्थापना 1961/62 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) और डब्ल्यूएचओ द्वारा संयुक्त एफएओ/डब्ल्यूएचओ खाद्य मानक कार्यक्रम के तहत खाद्य मानकों, दिशानिर्देशों और अभ्यास कोड जैसे संबंधित ग्रंथों को विकसित करने के लिए की गई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना, खाद्य व्यापार में उचित व्यवहार सुनिश्चित करना और अंतरराष्ट्रीय सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए सभी खाद्य मानकों के कार्यों के समन्वय को बढ़ावा देना है। "कोडेक्स इंडिया" भारत के लिए राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क बिंदु (एनसीसीपी), राष्ट्रीय कोडेक्स समिति के सहयोग से भारत में कोडेक्स गतिविधियों का समन्वय और प्रचार करता है और एक स्थापित परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से कोडेक्स के काम में भारत के इनपुट की सुविधा प्रदान करता है।

9. अधिनियम ने केंद्र सरकार को एफएसएस अधिनियम की धारा 4 के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (इसके बाद "खाद्य प्राधिकरण" के रूप में संदर्भित) का गठन करने का अधिकार दिया। खाद्य प्राधिकरण एक केंद्रीय सलाहकार समिति और वैज्ञानिक पैनल गठित करने

के लिए भी अधिकृत है। एफएसएस अधिनियम की धारा 13 में कहा गया है कि खाद्य प्राधिकरण वैज्ञानिक पैनल स्थापित करेगा जिसमें इसके विचार-विमर्श में उद्योग और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ शामिल होंगे। खाद्य प्राधिकरण खाद्य योजकों, स्वादों, प्रसंस्करण सहायता और भोजन के संपर्क में कीटनाशकों और एंटीबायोटिक्स के अवशेष आने वाली सामग्रियों पर पैनलों के अलावा, जितने आवश्यक समझे उतने वैज्ञानिक पैनल भी स्थापित कर सकता है; खाद्य प्राधिकरण, एफएसएस अधिनियम की धारा 14 के तहत, वैज्ञानिक समिति का गठन भी कर सकता है जिसमें वैज्ञानिक पैनलों के अध्यक्ष और छह स्वतंत्र वैज्ञानिक विशेषज्ञ शामिल होंगे जो किसी भी वैज्ञानिक पैनल से संबंधित नहीं हैं। समिति खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक राय प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगी और उसके पास सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने की शक्तियां होंगी। वैज्ञानिक समिति एक से अधिक वैज्ञानिक पैनल की क्षमता के अंतर्गत आने वाले बहु-क्षेत्रीय मुद्दों पर राय प्रदान करेगी और उन मुद्दों पर कार्य समूह गठित करेगी जो वैज्ञानिक पैनल के अंतर्गत नहीं आते हैं। खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्यों और कार्यों को एफएसएस अधिनियम की धारा 16 में विस्तृत रूप से निपटाया गया है, जिसमें कहा गया है कि भोजन के निर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित और निगरानी करना खाद्य प्राधिकरण का कर्तव्य होगा और विनियमों द्वारा, खाद्य पदार्थों के संबंध में मानकों और

दिशानिर्देशों को निर्दिष्ट करेगा, खाद्य व्यवसायों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के प्रमाणीकरण में लगे प्रमाणन निकायों की मान्यता के लिए तंत्र और दिशानिर्देश और मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं आदि को सूचित करेगा।

10. अध्याय III खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धांतों से संबंधित है। उक्त प्रावधान आसान संदर्भ के लिए यहां दिए गए हैं:

"अध्याय III

खाद्य सुरक्षा के साधारण सिद्धांत

18. अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले साधारण सिद्धांत - (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें, खाद्य प्राधिकरण, और अन्य अभिकरण, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करते समय, निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा मार्गदर्शित होंगे, अर्थात् :-

(क) मानव जीवन और स्वास्थ्य के संरक्षण और खाद्य सुरक्षा मानकों और पद्धतियों के संदर्भ में किसी किस्म के खाद्य व्यापार में उचित व्यवहारों सहित उपभोक्तओं के हितों के संरक्षण के समुचित स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करना:

(ख) जोखिम प्रबंध करना जिसके अंतर्गत, विनियमों के साधारण उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से जोखिम निर्धारण के परिणामों और ऐसे

अन्य कारकों को गणना में लेना भी है, जो खाद्य प्राधिकरण की राय में विचाराधीन विषय के लिये सुसंगत है और जहां परिस्थितियां सुसंगत हैं:

(ग) जहां किन्हीं विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में, उपलब्ध सूचना के निर्धारण के आधार पर स्वास्थ्य पर हानिप्रद प्रभाव की अधिसंभाव्यता की पहचान की जाती है किन्तु वैज्ञानिक अनिश्चितता बनी रहती है, वहां अधिक व्यापक जोखिम निर्धारण के लिये अतिरिक्त वैज्ञानिक जानकारी के प्राप्त होने तक स्वास्थ्य सुरक्षा के समुचित स्तर सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक जोखिम प्रबंधन उपाय अंगीकार किये जा सकेंगे।

(घ) खंड (ग) के आधार पर अंगीकार किए गए उपाय आनुपातिक होंगे और स्वास्थ्य सुरक्षा के समुचित स्तर प्राप्त करने हेतु व्यापार के लिये जितना अपेक्षित है उससे अधिक अवरोधक नहीं होंगे, विचाराधीन विषय में तकनीकी और आर्थिक साध्यता को और अन्य युक्तियुक्त और उचित समझे गए कारकों को ध्यान में रखा जाएगा:

(ड.) अंगीकृत उपायों का उचित समय अवधि के भीतर पुनर्विलोकन किया जाएगा, जो पहचान की गई जीवन या स्वास्थ्य की जोखिम की प्रकृति और वैज्ञानिक अनिश्चितता को स्पष्ट करने के लिये और कोई अधिक व्यापक जोखिम निर्धारण करने के लिये आवश्यक वैज्ञानिक प्रकार की जानकारी पर आधारित होगा:

(च) ऐसी दशाओं में, जहां यह संदेह करने के लिये युक्तियुक्त आधार हैं कि कोई खाद्य मानव स्वास्थ्य के लिये जोखिम उत्पन्न कर सकता है, तब उस जोखिम की प्रकृति, गंभीरता और सीमा पर निर्भर करते हुए, खाद्य प्राधिकरण और खाद्य सुरक्षा आयुक्त, खाद्य की या ऐसे किस्म के खाद्य की संभावित पूरी सीमा तक पहचान करते हुए स्वास्थ्य के लिये जोखिम की प्रकृति, वह जोखिम जो उत्पन्न होता है और उस जोखिम को रोकने, कम करने या दूर करने के लिये किए गए या किए जाने वाले उपायों को साधारण जनता को सूचित करने के लिये समुचित कार्रवाई करेंगे:

(छ) जहां कोई खाद्य, जो खाद्य सुरक्षा की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है, उसी वर्ग या विवरण के खाद्य के बैच, लॉट या पारेषण का भाग है, जहां जब तक कि उसके विपरित साबित नहीं कर दिया जाता है, यह उपधारणा की जाएगी कि उस बैच, लॉट या पारेषण का संपूर्ण खाद्य उन अपेक्षाओं का पालन करने में असल रहा है।

(2) खाद्य प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन विनियम बनाते समय या मानक विनिर्दिष्ट करते समय-

(क) निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा-

(I) देश में प्रचलित प्रथाएं और परिस्थितियां, जिनके अंतर्गत कृषि संबंधी व्यवहार तथा उठाई-धराई, भंडारण और परिवहन दशाएं भी हैं: और

(ii) अंतर्राष्ट्रीय मानक और पद्धतियां जहां अंतर्राष्ट्रीय मानक या पद्धतियां विद्यमान हैं या विरचित किये जाने की प्रक्रिया में हैं, जब तक कि उसकी यह राय न हो कि ऐसी प्रचलित प्रथाओं और परिस्थितियों या अंतर्राष्ट्रीय मानकों या पद्धतियों या उनके किसी विशिष्ट भाग को ध्यान में रखना प्रभावी नहीं होगा या ऐसे विनियमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए समुचित साधन नहीं होगा या जहां कोई वैज्ञानिक न्यायोचित्य है या जहां उसके देश में समुचित रूप में अवधारित संरक्षण के स्तर से भिन्न परिणाम है:

(ख) जोखिम विश्लेषण के आधार पर खाद्य मानक अवधारित होगा, सिवाय वहां के जहां उसकी यह राय है कि उस मामले की परिस्थतियों या प्रकृति में ऐसा विश्लेषण उचित नहीं है:

(ग) उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य पर आधारित और किसी स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ और पारदर्शी रीति से जोखिम का निर्धारण करेगा:

(घ) यह सुनिश्चित करेगा कि विनियमों को तैयार करने, उनके मूल्यांकन और पुनरीक्षण के दौरान प्रत्यक्षत: या पंचायतों के सभी स्तरों सहित प्रतिनिधि निकायों के माध्यम से खुला और पारदर्शी लोक परामर्श

है, सिवाय वहां के जहां उसकी यह राय है कि खाद्य सुरक्षा या लोक स्वास्थ्य के संबंध में विनियम को बनाने या उनमें संशोधन करने की अत्यावश्यकता है और ऐसे मामलों में ऐसे परामर्श से छूट दी जा सकेगी:

परन्तु ऐसे विनियम छह मास से अधिक के लिये प्रवृत्त नहीं रहेंगे:

(ड.) उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करेगा और वे उपभोक्ताओं को उन खाद्यों के संबंध में, जिनका वे उपयोग करते हैं, अवगत चयन करने के लिए आधार उपलब्ध करेगा:

(च) निम्नलिखित का निवारण सुनिश्चित करेगा-

(I) कपटपूर्ण, प्रवंचक या अनुचित व्यापारिक व्यवहार हो उपभोक्ता को भ्रमित कर सके या हानि पहुंचा सके: और

(ii) असुरक्षित या संदूषित या अवमानक खाद्य।

(3) इस अधिनियम के उपबंध किसी कृषक या मछुआरे या कृषि संक्रियाओं या फसलों या पशुधन या जलकृषि और कृषि में प्रयुक्त या उत्पादित प्रदायों या किसी कृषक फार्म या किसी मछुआरे द्वारा अपनी संक्रियाओं में उत्पादित को लागू नहीं होंगे।

11. ऊपर उल्लिखित सामान्य सिद्धांतों का पालन अधिनियम के प्रशासन में, केंद्र सरकार, खाद्य प्राधिकरण, राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों द्वारा, नियमों को लागू करते समय और खाद्य सुरक्षा मानकों को निर्दिष्ट करते समय या एफएसएस अधिनियम के प्रावधान लागू करते समय किया जाना

चाहिए। खाद्य प्राधिकरण, अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, देश में प्रचलित प्रथाओं और स्थितियों को ध्यान में रखेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों और प्रथाओं सहित कृषि प्रथाओं और हैंडलिंग, भंडारण और परिवहन की स्थिति शामिल है। खाद्य प्राधिकरण को खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जैसे जोखिम विश्लेषण, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन, जोखिम संचार, पारदर्शी सार्वजनिक परामर्श, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा, आदि। अधिनियम की धारा 19 यह निर्धारित करती है कि कोई भी पदार्थ भोजन में कोई खाद्य योज्य या प्रसंस्करण सहायता नहीं शामिल होगी जब तक कि यह अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार न हो।

12. धारा 21 अत्यंत महत्वपूर्ण है और आसान संदर्भ के लिए यहां दी गई है:

"21. नाशकजीवमार, पशु चिकित्सीय अैाषधि अवशिष्ट, प्रतिजैविक अवशिष्ट और सूक्ष्मजीव काउंट- (1) किसी खाद्य पदार्थ में उतनी सहाय्य सीमा से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक कीटनाशक, नाशकजीवमार, पशु चिकित्सीय अैाषध अवशिष्ट, प्रतिजैविक अवशिष्ट, विलय अवशिष्ट, भेषजीय रूप से सक्रिय पदार्थ और सूक्ष्मजीव काउंट अंतर्विष्ट नहीं होंगे।

(2) कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अनुमोदित धूमकों को छोडकर किसी कीटनाशी का प्रयोग किसी खाद्य पदार्थ पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए -

(1) "नाशकजीवमार अवशिष्ट" से खाद्य में ऐसा कोई विनिर्दिष्ट पदार्थ अभिप्रेत है जो किसी नाशकजीवमार के उपयोग के परिणामस्वरूप उस खाद्य में आ जाता है और इसके अंतर्गत नाशकजीवमार के व्युत्पन्न, जैसे कि संपरिवर्तन उत्पाद, उपापचयज, प्रतिक्रिया उत्पाद और ऐसी अशुद्धियां भी हैं, जिन्हें विष विज्ञान के महत्व का समझा जाता है और इसके अंतर्गत पर्यावरण से खाद्य में आने वाले अवशिष्ट भी हैं:

(2) "पशु औषधि के अवशिष्ट" के अंतर्गत किसी पशु उत्पाद के किसी खाने योग्य भाग में मूल मिश्रण या उनके उपायचजय या दोनों ही हैं और इसके अंतर्गत संबद्ध पशु औषधि की सहयुक्त अशुद्धियाेंं के अवशिष्ट भी हैं।

उपर्युक्त अनुभाग में प्रावधान है कि किसी भी खाद्य पदार्थ में कीटनाशक या कीटनाशक, पशु चिकित्सा दवाओं के अवशेष, एंटीबायोटिक अवशेष, विलायक अवशेष, औषधीय सक्रिय पदार्थ और सूक्ष्म जैविक मात्रा ऐसी सहनशीलता सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए जो नियमों द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है। इसमें यह भी प्रावधान है कि कीटनाशक

अधिनियम, 1968 के तहत पंजीकृत और अनुमोदित फ्यूमिगेंट्स को छोड़कर किसी भी कीटनाशक का सीधे खाद्य पदार्थों पर उपयोग नहीं किया जाएगा।

13. एफएसएस अधिनियम की धारा 24 विज्ञापन पर प्रतिबंध और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक से संबंधित है और इस प्रकार है:

"24. विज्ञापन पर निर्बंधन और अनुचित व्यापार व्यवहारों के बारे में प्रतिषेध - (1) किसी ऐसे खाद्य का कोई ऐसा विज्ञापन नहीं दिया जाएगा जो भ्रामक या प्रवंचनापूर्ण हो या इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंधाेें का उल्लंघन करने वाला हो।

(2) कोई व्यक्ति स्वयं को खाद्य वस्तुअेां के विक्रय, प्रदाय, उपयोग और उपभोग के संवर्धन के प्रयोजन के लिये किसी अनुचित व्यापार व्यवहार में नहीं लगाएगा या कोई ऐसा अनुचित व्यापार व्यवहार या प्रवंचक व्यवहार नहीं अपनाएगा, जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कथन करने, चाहे वह मौखिक हो या लिखित हो, का व्यवहार भी है या किसी ऐसे दृश्यरूपण का उपयोग नहीं करेगा जो-

(क) मिथ्या रूप से यह प्रस्तुत करता हो कि किसी विशिष्ट मानक, क्वालिटी, मात्रा या श्रेणी संरचना के हैं:

(ख) किसी खाद्य की आवश्यकता या उनकी उपयोगिता के संबंध में कोई मिथ्या या भ्रामक व्यपदेशन करता हो:

(ग) उसकी किसी प्रभावकारिता की गारंटी जनता को देता हो जो उसके पर्याप्त या वैज्ञानिक औचित्य पर आधारित न हो:

परन्तु जहां इस आशय की कोई प्रतिरक्षा की जाती है कि ऐसी गारंटी पर्याप्त या वैज्ञानिक औचित्य पर आधारित है वहां ऐसी प्रतिरक्षा के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो ऐसी प्रतिरक्षा करता है।

उपर्युक्त धारा किसी भी खाद्य पदार्थ के विज्ञापन पर प्रतिबंध का प्रावधान करती है जो एफएसएस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों को गुमराह करता है या उनका उल्लंघन करता है। यह भोजन की वस्तुओं की बिक्री, आपूर्ति, उपयोग और खपत को बढ़ावा देने या मानकों, गुणवत्ता, मात्रा, उपयोगिता या प्रभावकारिता की कोई गारंटी जो उसके पर्याप्त या वैज्ञानिक औचित्य पर आधारित नहीं है देने के संबंध में जनता को गुमराह करने के लिए किसी भी अनुचित या भ्रामक अभ्यास को अपनाने के उद्देश्य से किसी भी अनुचित व्यापार अभ्यास पर प्रतिबंध लगाने का भी प्रावधान करता है।

14. खाद्य प्राधिकरण, एफएसएस अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के (ई) खंड के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक

और खाद्य योजक) विनियम, 2011 बनाया। इसका उद्देश्य भोजन का विनिर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित और निगरानी करना है ताकि सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित किया जा सके। शीतल पेय की सामग्री, विशेष रूप से, "कार्बोनेटेड पानी" शीर्षक के तहत विनियमों के विनियमन 2.10.6 द्वारा विनियमित होती है। खाद्य प्राधिकरण को एफएसएस अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप -धारा (2) के खंड (के) के तहत शक्तियां भी प्रदान की गई हैं और उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसने खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम 2011 तैयार किए हैं। उपर्युक्त विनियमों के साथ पढ़ी गई धारा 23 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी पैक किए गए खाद्य उत्पाद का निर्माण, वितरण, बिक्री या बिक्री के लिए प्रदर्शन या बिक्री के उद्देश्य से किसी एजेंट या ब्रोकर को प्रेषण या वितरण नहीं करेगा, तरीका, जैसा निर्दिष्ट किया जा सकता है। इसमें आगे प्रावधान है कि प्रत्येक खाद्य व्यवसाय संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि भोजन की लेबलिंग और प्रस्तुति उपभोक्ताओं को गुमराह न करे। धारा 24 , जिसका उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं, किसी भी खाद्य पदार्थ के विज्ञापन पर प्रतिबंध का प्रावधान करती है जो एफएसएस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों को गुमराह करता है या उनका उल्लंघन करता है। उपर्युक्त नियमों के साथ-साथ एएससीआई कोड

के अनुसार, कार्बोनेटेड पेय पदार्थों के विज्ञापनों की निगरानी भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) द्वारा की जा रही है।

15. हम संकेत दे सकते हैं कि एफएसएस अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधानों के साथ-साथ यहां पहले उल्लिखित नियमों द्वारा अधिकांश स्थितियों का पहले ही ध्यान रखा जा चुका है, ताकि मानव जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा मानकों और प्रथाओं के संदर्भ में खाद्य व्यापार के सभी मामलों में निष्पक्ष प्रथाओं सहित उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा का उचित स्तर प्राप्त किया जा सके।

16. कार्बोनेटेड शीतल पेय का निर्माण और बिक्री खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम , 1954 (पीएफए अधिनियम), पीएफए नियम और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी फल उत्पाद आदेश, 1955 द्वारा विनियमित है । पीएफए की धारा 3 अधिनियम एक समिति के गठन का प्रावधान करता है जिसे केंद्रीय खाद्य मानक समिति (सीसीएफएस) कहा जाता है और यह पहले से ही गठित है जिसके पास खाद्य पदार्थों से संबंधित सभी मामलों से निपटने और सभी पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सलाह देने से संबंधित मामले और अधिनियम के तहत इसे सौंपे गए अन्य कार्यों को पूरा करने की बहुत व्यापक शक्तियां हैं और भोजन पीएफए अधिनियम की धारा 23(1) केंद्र सरकार को सीसीएफएस के साथ परामर्श के बाद ऐसे नियम बनाने का कर्तव्य सौंपती है, जो अन्य

बातों के साथ-साथ परिशिष्ट बी में 340 खाद्य पदार्थों के लिए गुणवत्ता के मानकों और भाग VII में सभी खाद्य पदार्थों के लिए लेबलिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। पीएफए नियमों के भाग VIII में नियम 44 के तहत, वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर उन सामग्रियों/खाद्य पदार्थों की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न सामग्रियों/खाद्य पदार्थों की बिक्री को विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिए समय-समय पर अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। विभिन्न मुद्दों पर सीसीएफएस और इसकी उप-समितियां न केवल मानकों को लागू करने की प्रक्रिया से जुड़ी हैं, बल्कि किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण/प्रसंस्करण में उपयोग किए जाने वाले मानकों और विभिन्न योजकों की नियमित समीक्षा करने में भी शामिल हैं।

17. पीएफए अधिनियम, पीएफए नियम और एफपीओ पहले से ही शीतल पेय सहित भोजन में विशेष रूप से रासायनिक योजकों की सामग्री को नियंत्रित और जांचते हैं। अधिनियम की धारा 2(v) "भोजन" को परिभाषित करती है। इस परिभाषा में कोई भी स्वादिष्ट पदार्थ या मसाला भी शामिल है। केंद्र सरकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य वस्तु को उसके उपयोग, प्रकृति, पदार्थ या गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए भोजन के रूप में घोषित करने के लिए अधिसूचित करने की शक्ति दी गई है। केंद्र सरकार के पास अधिनियम की धारा 23 के तहत कुछ खाद्य पदार्थों

की बिक्री को प्रतिबंधित करने और विनियमित करने के लिए पीएफए नियमों के भाग VII के तहत कदम उठाने की शक्ति है।

18. पीएफए नियम, 1955 के नियम 32 से नियम 44 के अनुसार लेबलिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान पहले ही किए जा चुके हैं और नियम और विनियम लागू हैं। पीएफए नियमों के नियम 32 के अनुसार, जैसा कि अधिसूचना जीएसआर (ई) दिनांक 19.9.2008 द्वारा संशोधित किया गया है। खाद्य उत्पादों और विशेष रूप से शीतल पेय के सभी अवयवों की घोषणा अवरोही क्रम में की जानी आवश्यक है और पोषण संबंधी जानकारी भी घोषित की जानी आवश्यक है।

भ्रामक विज्ञापनों से निपटने के लिए पीएफए के तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के साथ-साथ पर्याप्त प्रावधान भी मौजूद हैं। पीएफए नियम, 1955 के नियम 43 ए का भी संदर्भ लिया जा सकता है।

19. भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 सम्मान के साथ जीने के अधिकार की गारंटी देता है। मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों, विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 39 के खंड (ई) और (एफ) के उल्लंघन से इनकार करता है। अनुच्छेद 47 इस प्रकार है:

> "47. पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए राज्य का

कर्तव्य - राज्य अपने लोगों के पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार को अपने में से एक मानेगा। प्राथमिक कर्तव्यों और, विशेष रूप से, राज्य नशीले पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक दवाओं के औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर उपभोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा।"

20. अर्थशास्त्र, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, 1966 का अनुच्छेद 12 इस प्रकार है:

"12.- (1) वर्तमान अनुबंध के राज्य पक्ष शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक का आनंद लेने के लिए हर किसी के अधिकार को मान्यता देते हैं।

(2) इस अधिकार की पूर्ण प्राप्ति के लिए वर्तमान अनुबंध के राज्यों की पार्टियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों में निम्नलिखित के लिए आवश्यक कदम शामिल होंगे:

(ए) मृत जन्म दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने और बच्चे के स्वस्थ विकास के लिए प्रावधान;

(बी) पर्यावरण और औद्योगिक स्वच्छता के सभी पहलुओं में सुधार;

(सी) महामारी, स्थानिक, व्यावसायिक और अन्य बीमारियों की रोकथाम, उपचार और नियंत्रण;

(डी) ऐसी स्थितियों का निर्माण जो बीमारी की स्थिति में चिकित्सा सेवा और चिकित्सा देखभाल का आश्वासन देगी।

21. हम इस बात पर जोर दे सकते हैं कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक या हानिकारक है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के मौलिक अधिकार के लिए संभावित खतरा है। मानव जीवन और स्वास्थ्य के लिए उचित स्तर की सुरक्षा प्राप्त करना राज्यों और उसके प्राधिकारियों पर सर्वोपरि कर्तव्य है, जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के साथ पठित अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को दिया गया एक मौलिक अधिकार है।

22. इसलिए, हमारा विचार है कि एफएसएस अधिनियम और पीएफए अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों की ऊपर चर्चा किए गए संवैधानिक सिद्धांतों के आलोक में व्याख्या और लागू किया जाना चाहिए और मानव जीवन और स्वास्थ्य की सुरक्षा का उचित स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्राधिकरणों के साथ-साथ उपर्युक्त अधिनियमों के तहत कार्य करने वाले अन्य अधिकारियों पर भी काफी जिम्मेदारी डाली गई है। अधिकारियों को परिस्थितियों के अनुरूप नियंत्रण और अन्य गतिविधियों की एक प्रणाली बनाए रखने के लिए भी बाध्य किया जाता है, जिसमें खाद्य सुरक्षा और जोखिम पर सार्वजनिक संचार,

खाद्य सुरक्षा निगरानी और खाद्य व्यवसाय के सभी चरणों को कवर करने वाली अन्य निगरानी गतिविधियाँ शामिल हैं।

23. जीवन का आनंद और उसकी प्राप्ति, जिसमें जीवन और मानवीय गरिमा का अधिकार शामिल है, इसके दायरे में कीटनाशकों या कीटनाशकों के अवशेषों, पशु चिकित्सा दवाओं के अवशेषों, एंटीबायोटिक अवशेषों, विलायक अवशेषों आदि के बिना भोजन की वस्तुओं की उपलब्धता शामिल है। लेकिन तथ्य यह है, बाजार में उपलब्ध चावल, सब्जियां, मांस, मछली, दूध, फल जैसे कई खाद्य पदार्थों में सहनीय सीमा से परे कीटनाशकों या कीटनाशकों के अवशेष होते हैं, जो गंभीर स्वास्थ्य खतरों का कारण बनते हैं। हमने देखा है कि विभिन्न फलों की दुकानों पर उपलब्ध फल आधारित शीतल पेय में खतरनाक अनुपात में ऐसे कीटनाशकों के अवशेष होते हैं, लेकिन इसकी सामग्री की जांच पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बच्चे और शिशु अपनी शारीरिक अपरिपक्वता और शीतल पेय, फल आधारित या किसी अन्य पेय के अधिक संपर्क के कारण कीटनाशकों के प्रभाव के प्रति विशिष्ट रूप से संवेदनशील होते हैं।

24. इसलिए, हम भारतीय खाद्य और सुरक्षा मानक प्राधिकरण को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने समकक्षों के साथ अपने संसाधनों को बढ़ाने और प्रमुख फल और सब्जी बाजारों का समय-समय पर निरीक्षण और निगरानी करने का निर्देश देते हैं, ताकि यह पता लगाया

जा सके कि क्या वे अधिनियम और नियमों द्वारा निर्धारित ऐसे मानकों के अनुरूप है।

25. अधिनियम में दण्डात्मक प्रावधान भी दिये गये हैं। इसलिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अधिनियमों के प्रावधानों को ठीक से और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि राज्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन के अधिकार की रक्षा करते हुए मानव जीवन और स्वास्थ्य का उचित स्तर प्राप्त कर सके।

26. रिट याचिका को उपरोक्त निर्देशों के साथ निपटाया जाता है, और इसके उत्तरदाताओं को, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, एफएसएस अधिनियम के प्रावधानों के साथ-साथ इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों का सख्ती से पालन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

आर.पी.

रिट याचिका निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुरेन्द्र कौशिक (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

धन्यवाद।